# विद्युत लोकपाल
## मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
## पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

**प्रकरण क्रमांक L00-10/2021**

**श्री हेमचंद जैन सुव्रत ट्रेडिंग कंपनी,** — आवेदक/अपीलार्थी
एम.आई.जी.–89, शबरी नगर पानी की टंकी के पास,
रासलाखेड़ी, भोपाल (म0प्र0)

**विरूद्ध**

**उपमहाप्रबंधक शहर संभाग, (पूर्व)** — अनावेदक/प्रति–अपीलार्थी
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
भोपाल (म.प्र.)

## : आदेश :

**(दिनांक 18.04.2022 को पारित)**

**01.** आवेदक श्री हेमचंद जैन सुव्रत ट्रेडिंग कंपनी एम.आई.जी.–89, शबरी नगर रासलाखेड़ी, भोपाल ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 19.11.2021 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम भोपाल/ग्वालियर क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक बी.टी. 57/2021 में आदेश दिनांक 12/10/2021 से पीड़ित एवं दुखी होकर इस आदेश के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 42(6) विद्युत अधिनियम, 2003 प्रस्तुत की है जो दिनांक 22.11.2021 को कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक 10/2021 पर दर्ज की गई है ।

**02. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य**

1. मेरा चक्की का विद्युत कनेक्शन मई 2019 में स्थापित हुआ मई 19 से जून 2021 तक कुल खपत 7482 युनिट है जिसमें प्राप्त बिल व उपभोक्ता पासबुक अनुसार जुलाई 2019 से जून 21 की कुल खपत 6686 युनिट की बिल राशी 58,945 रू. व माह मई 19 की खपत 798 यूनिट की बिल राशी 5,040 रू. है माह मई 19 की कुल खपत 798 यूनिट की बिल की गणना इस प्रकार है ऊर्जा प्रभार = 798 गुणा 4.62 = 3687 रु. नियत प्रभार 896 रु. मीटर किराया

125 रु. व विद्युत शुल्क ऊर्जा प्रभार का 9 प्रतिशत 332 रु. जिसकी कुल राशि (3687 + 896 + 125 + 332 + 5040 रु.) हुई जिसकी बिलिंग जून में होगी।

2. इस प्रकार मई 19 से जून 21 की कुल खपत 7482 यूनिट की बिल राशि 58495+5040 = 63,985 रू. जिसमें से 1323 रू. अधिकतम माँग के रूप में ली गई ज्यादा राशि व जमा राशि 56500 रू. तथा सुरक्षा निधि के 5500 रू. समायोजित कर 1323+56500+5500= 63323 रू.) घटाने पर बकाया राशी 662 रू. बचती है इस तरह जून 21 तक बकाया राशि 662 रू. व अधिभार है व सुरक्षा निधि की गणना वर्ष भर की बिलिंग के आधार पर एक माह के औसत का डेढ़ गुना ली जाती है जो हमारी बिलिंग के औसत अनुसार लगभग 3500 रू. है इस प्रकार 3,500 रू. सुरक्षा निधि के जमा होने के बाद बकाया राशि के बाद बकाया राशि 662 रू. है।

3. मई 2019 में कनेक्शन की स्थापना के बाद प्रथम बिल सितंबर माह में 162 यूनिट की खपत का 1922 रू. की राशी का बिल दिया जिसमें पूर्व बकाया के रूप में 9069 रू. की राशी अंकित है जिस पर हमारे द्वारा अंकित बकाया राशी के संबंध में जानकारी माँगी व पिछले माह की खपत के बिल मॉगे जिस पर कहा गया कि कनेक्शन के बाद प्रथम बिल जनरेट होने में समय लगता है इसलिए सितंबर माह का बिल ही रीडिंग लेकर बनाया गया प्रथम बिल है तब हमने पिछले माहों की खपत 961 यूनिट व अंकित बकाया राशी 9069 रू. के संबंध मे जानकारी मॉगी जो आज दिनांक तक नही दी।

4. उपभोक्ता पासबुक में माह जूलाई 19 के एरियर के कॉलम में 5742 रू. की राशी अंकित है जो पिछले माह की खपत 798 यूनिट की होगी जबकि 798 यूनिट खपत की बिल राशी ऊपर उल्लेखित गणना अनुसार 5040 रू. है इस प्रकार 5742 यूनिट में से 5040 घटाने पर 702 रू. बचते हैं जो ज्यादा जोड़े गये है।

5. कनेक्शन की स्थापना के बाद जुलाई 19, अगस्त 2019 में प्रारंभिक माह होने के कारण व मार्च 20 में लॉकडाउन के समय सब कुछ बंद होने के कारण रीडिंग ही नहीं ली गई तब अधिकतम मॉग केसे दर्ज हो गई ? जबकि स्थापित मीटर साधारण है जिसकी रीडर द्वारा मेन्यूली परिसर पर जाकर रीडिंग ली जाती है।

6. जुलाई 19, अगस्त 19, नवंबर 19, दिसम्बर 19, जनवरी 20, फरवरी 20, मार्च 20 के माह में अधिकतम मॉग बड़ी हुई बता कर नियत प्रभार में ज्यादा राशि की माँग की गई जबकि मेरा स्वीकृत भार 6 एच. पी. है व इतनी ही अधिकतम माँग 06 एच. पी. है जो उपरोक्त बिल में भी

दर्शायी गई है त्रुटिवश 6 एच.पी. को 6 किलो वाट मानकर नियत प्रभार की गणना की गई जो गलत है इसलिए नियत प्रभार के रूप में दर्शायी राशी को हटाते हुए व अन्य त्रुटियों को सुधार कर बिल को पूर्णरूप से संशोधित करायें।

अतः आपसे अनुरोध है कि अधिभार राशी हटाते हुए बिल को पूर्णरूप से संशोधित कराकर संशोधित बिल प्रदान करावें।

**03.** प्रकरण को क्रमांक एल.00–10/2021 पर दर्ज करने के बाद उभयपक्षों को लिखित नोटिस जारी करते हुए प्रथम सुनवाई दिनांक 21.12.2021 को नियत की गई।

सुनवाई दिनांक 21.12.2021 को आवेदक की ओर से आवेदक प्रतिनिधि श्री अजय जैन उपस्थित तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री अजय वधवानी, सहायक यंत्री उपस्थित ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री अजय वधवानी, सहायक यंत्री द्वारा उक्त प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसकी एक प्रति आवेदक प्रतिनिधि को दी गई ।

उक्त आवेदन पर अनावेदक प्रबंधक भानपुर जोन शहर संभाग म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने लिखित में निम्नानुसार कथन प्रस्तुत किए हैः–

उपरोक्त विषय के संदर्भ में लेख है कि मेसर्स सुव्रत ट्रेडिंग कम्पनी प्रो. हेमचंद्र जैन एम.आई.जी. 89 शबरी नगर रासलाखेड़ी भानपुर भोपाल उपभोक्ता को प्रतिमाह रीडिंग अनुसार बिल जारी किया जा रहा है। सर्विस क्रमांक 2444011180 है उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन 06 एच.पी. का औद्योगिक कनेक्शन है उपभोक्ता को प्रतिमाह मीटर की खपत के आधार पर बिल प्रदान किया जा रहा है। उपभोक्ता द्वारा अन्तिम बिल का भुगतान 12,000/– दिनांक 22.03.2021 मे किया गया वर्तमान बकाया राशि 26,016/– है उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन में सुरक्षा निधि की राशि 9,000/– रूपए एम.आर. 8339/182 से पंच कर दी गई है। उपभोक्ता का औद्योगिक कनेक्शन है नियमानुसार उपभोक्ता की सुरक्षा निधि की राशि पर विद्युत कनेक्शन प्रदान किये जाने की दिनांक अप्रैल 2019 से माह जनवरी 2021 तक सुरक्षा निधि पर ब्याज की राशि 660/– रूपए (संलग्न) उपभोक्ता के विद्युत बिल में समायोजित कर दी गई है। आगामी कार्यवाही हेतु आपकी ओर संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

साथ ही अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री अजय वधवानी, सहायक यंत्री द्वारा उक्त प्रकरण में कुछ अतिरिक्त तर्क प्रस्तुत करने हेतु कुछ समय की मांग की गई । मांग स्वीकारते हुए उभयपक्षों की आपसी सहमति से प्रकरण में अन्तिम सुनवाई दिनांक 04.01.2022 नियत की गई ।

**04.** सुनवाई दिनांक 04.01.2022 को विद्युत लोकपाल का पद रिक्त होने के कारण उक्त प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी तथा विद्युत लोकपाल के पद पर दिनांक 14.02.2022 को पदस्थापना के बाद उक्त प्रकरण में अग्रिम सुनवाई दिनांक 24.02.2022 नियत की गई ।

**05.** दिनांक 24.02.2022 की सुनवाई में आवेदक की ओर से आवेदक प्रतिनिधि श्री अजय जैन उपस्थित तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री अजय वधवानी, सहायक यंत्री उपस्थित ।

आवेदक की ओर से सुनवाई के दौरान पुनः आवेदन पत्र दिनांक 24.02.2022 प्रस्तुत किया, जिसकी प्रति अनावेदक को दी गई ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री अजय वाधवानी, सहायक यंत्री द्वारा उक्त प्रकरण में जवाब प्रतिवेदन क्रमांक 622 दिनांक 23.02.2022 प्रस्तुत किया ।

उभयपक्षों को पुनः सुना गया, आवेदक को सुनने से यह ज्ञात हुआ है कि आवेदक को विभिन्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण नहीं है, जबकि अनावेदक द्वारा फोरम के आदेश के पालन में कार्यवाही की जा चुकी है । अतः अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक के संशय के निम्नलिखित 6 बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/कार्यवाही कर प्रस्तुत करें ।

(i) राशि रू0 9000/– सुरक्षा निधि के मद में जमा की गई थी, उसको बिल में प्रदर्शित करना ।
(ii) अतिरिक्त सुरक्षा निधि को बिल में समयोजित करना ।
(iii) कुछ माहों में एम.डी. गलत बिल करने का समायोजन करना ।
(iv) मई 2019 से जुलाई 2019 तक के बिल में 920/– रू. की राशि अधिक बिल करना ।
(v) कनेक्शन प्राप्त करते समय पंजीकरण के मद में जमा राशि रू0 1500/– का समायोजन करना ।
(vi) अधिभार की राशि रू0 2576/– को हटाया जाना ।

उक्त 6 बिन्दुओं पर जिनमें आवेदक को संशय है पुनः व्यक्तिगत रूप से बुलाकर स्पष्ट करें साथ ही इस संबंध में प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करें ।

उपरोक्त कार्यवाही पश्चात् प्रकरण में अन्तिम सुनवाई दिनांक 30.03.2022 नियत की गई ।

**06.** दिनांक 30.03.2022 की सुनवाई में आवेदक की ओर से आवेदक प्रतिनिधि श्री अजय जैन उपस्थित तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

अनावेदक से दिनांक 24.02.2022 को आवेदक की मांग पर उनके द्वारा उठाए गए संशय के 6 बिन्दुओं पर अनावेदक को कार्यवाही करने/विवरण स्पष्ट करने/बिल की गई राशि का विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्देशित किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में अनावेदक ने बिन्दुवार विवरण पत्र क्रमांक 449 दिनांक 05.03.2022 से प्रस्तुत किया है, जिसकी एक प्रति आवेदक को दे दी गई थी, जो निम्नानुसार है :–

उपरोक्त विषय के संदर्भ में लेख है कि मेसर्स सुब्रत ट्रेडिग कम्पनी प्रो. हेमचंद्र जैन एम.आई.जी. 89 शबरी नगर रासलाखेड़ी भानपुर भोपाल उपभोक्ता सर्विस क्रमांक 2444011180 है उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन 06 एच.पी. का औद्योगिक कनेक्शन है उपभोक्ता के विद्युत बिल में नियमानुसार संशोधन की जानकारी का बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार हैः–

(i) **<u>उपभोक्ता द्वारा नवीन कनेक्शन हेतु जमा की गई सुरक्षा निधि की बिलिंग सिस्टम में प्रविष्टिः–</u>**

उपभोक्ता द्वारा नवीन कनेक्शन हेतु जमा की गई 9000/– रूपए सुरक्षा निधि के दिनांक 15.02.2021 को एम.आर. 8339/182 से सुरक्षा निधि के खाते में बिलिंग सिस्टम में समायोजित कर दी गई, एवं माह अप्रैल 2019 से माह जनवरी 2021 तक सुरक्षा निधि पर ब्याज की राशि 660/– उपभोक्ता के विद्युत बिल में 19 जुलाई 2021 में समायोजित कर दी गई है सुलभ संदर्भ हेतु बिल संलग्न।

(ii) **<u>45 दिन के विद्युत बिल की खपत के अनुसार सुरक्षा निधि का माह जुलाई 2021 से सितम्बर 2021 तक समायोजन :–</u>**

उपभोक्ता के विद्युत देयक में माह जुलाई 2021 से सितम्बर तक खपत के अनुसार NGB सिस्टम द्वारा Automatic 1415/– रूपए का समायोजन जुलाई 2021 से सितम्बर 2021 तक नियमानुसार कर दिया गया है सुलभ संदर्भ हेतु बिल संलग्न (जुलाई 21 से सितंबर 21)

(iii) **<u>त्रुटिपूर्ण अधिकतम मॉग की राशि का समायोजनः–</u>**

उपभोक्ता के विद्युत देयकों का निरीक्षण करने पर प्रथम दृष्टि में पाया गया कि उपभोक्ता की अधिकतम मॉग की प्रवष्ठि त्रुटि वश 05 किलोवाट माह जून 2019 से अगस्त 2019 एवं नवम्बर 2019 से मार्च 2020 तक कुल 08 माह तक पंच हो गई थी **<u>(कोविड 19 लॉक डाउन)</u>** जिसका समायोजन अगामी अधिकतम मॉग अनुसार **<u>1120–896=224x8=1792 रूपए माह मार्च 2022</u>** के बिल के साथ समायोजित कर दिया जायेगा।

(iv) **मई 2019 से जुलाई 2019 बिल की एकत्रित रीडिंग का समायोजनः–**

उपभोक्ता के बिल का निरीक्षण करने पर पाया गया कि उपभोक्ता का नवीन कनेक्शन 06 एच. पी. का कनेक्शन है जो औद्योगिक श्रेणी में आता है बिलिंग नियमानुसार की जा रही है एकत्रित रीडिंग का समायोजन टेरिफ मिनीमम के आधार पर NGB सिस्टम द्वारा Automatic कर दिया जाता है इसमें किसी भी प्रकार के संशोधन की कोई सम्भावना नहीं है।

(v) **नवीन विद्युत कनेक्शन में जमा की गई रजिस्ट्रेशन राशि का समायोजनः–**

उपभोक्ता द्वारा नवीन विद्युत कनेक्शन हेतु जमा की गई रजिस्ट्रेशन राशि 1505/– रूपए में से 1500/– रूपए की राशि का समायोजन माह मार्च 2022 के बिल में कर दिया जायेगा।

(vi) **अधिभार का समायोजनः–**

उपभोक्ता का विद्युत बिल त्रुटि पूर्ण होने के कारण कुल सरचार्ज की राशि 4956/– का समायोजन मार्च 2022 के विद्युत बिल में कर दिया जायेगा।

| त्रुटि पूर्ण अधिकतम मॉग की समायोजित राशि | नवीन कनेक्शन हेतु रजिस्ट्रेशन समायोजन राशि | अधिभार का समायोजन | कुल मार्च 2022 के देयक में समायोजित करने योग्य राशि |
|---|---|---|---|
| 1792/– | 1500/– | 4953/– | 8248/– |

**07.** आवेदक से उपरोक्त स्पष्टीकरण के संबंध में पूछा गया तो वे बिन्दु क्रमांक – 04 को छोड़कर अन्य सभी बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही से पूर्णतः संतुष्ट हैं । बिन्दु क्रमांक – 04 जो कि माह मई 2019 से जुलाई 2019 की अवधि में की गई बिलिंग के संबंध में है । आवेदक ने अपने मूल आवेदन के पैरा 03 एवं 04 में राशि रू. 702/– अधिक बिल करने के संबंध में लिखा है किन्तु दिनांक 24.02.2022 को राशि रू. 920/– अधिक बिल किए जाना बताया एवं आज दिनांक की सुनवाई में राशि 1390/– अधिक राशि बिल किया जाना बताया । अतः उपभोक्ता स्वयं इस बिन्दु पर भ्रमित है ।

आवेदक उक्त बिन्दु को छोड़कर बाकि कार्यवाही से पूर्ण संतुष्ट हैं एवं उसे न तो और कुछ कहना है और न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना है । प्रकरण में अनावेदक से बिन्दु क्रमांक – 04 पर माह मई 2019 से जुलाई 2019 तक माहवार, मदवार बिल का विवरण बुलवाया जावें, उसकी विवेचना उपरान्त ही प्रकरण में आदेश पारित किया जावेगा ।

**08.** अनावेदक ने आवेदक द्वारा दिनांक 24.02.2022 की सुनवाई में उठाए गए बिन्दुओं में से बिन्दु क्रमांक (iv) के संबंध में स्पष्टीकरण अपने पत्र क्रमांक 141 दिनांक 08.04.2022 के माध्यम से प्रेषित किया जिसकी प्रति आवेदक को भी प्रेषित की गई है । पत्र के साथ बिन्दु क्रमांक 04 में चाही गई माह मई – 19 से जुलाई 2019 तक के बिलों के साथ ही फरवरी 2020 तक के बिलों का विवरण लेजर के अनुसार दिया गया है । पत्र में यह बताया गया है कि सभी बिल मीटर द्वारा दर्ज खपत के अनुसार ही बनाए गए हैं एवं पुनः जांच करने पर कोई भी त्रुटि नहीं पाई गई ।

अवलोकन करने पर पाया कि सभी बिल नियमानुसार सही बनाए हैं एवं आवेदक द्वारा की गई मांग कि बिलों में त्रुटि है निरस्त करने योग्य है ।

**09.** उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों/साक्ष्यों का स्थापित विधि और नियम/विनियमों के प्रकाश में विवेचना से निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं ।

आवेदक ने फोरम द्वारा पारित आदेश पर कार्यवाही करने के उपरांत संशय के 6 बिन्दुओं पर दिनांक 24.02.2022 की सुनवाई में समाधान चाहा था, इसके अतिरिक्त समाधान हेतु और कोई बिन्दु शेष नहीं है ।

i) **नवीन कनेक्शन हेतु जमा की गई सुरक्षा निधि की बिलिंग सिस्टम में प्रविष्ठि –** दिनांक 15.02.2021 को नवीन कनेक्शन के समय जमा सुरक्षा निधि रू. 9000/– की प्रविष्टि बिलिंग सिस्टम में करने के साथ ही कनेक्शन दिनांक से जनवरी 2021 तक उक्त सुरक्षा राशि पर ब्याज राशि रू. 660/– उपभोक्ता के जुलाई – 21 के बिल में समायोजित कर दी गई है ।

ii) **45 दिन के विद्युत बिल के अनुसार सुरक्षा निधि –** मांग अनुसार बिलिंग सिस्टम द्वारा अधिक जमा सुरक्षा निधि रू. 1415 का समायोजन जुलाई से सितम्बर 2021 तक के बिलों में तीन किस्तों में कर दिया गया है ।

iii) **त्रुटिपूर्ण अधिकतम मांग की राशि का समायोजन –** अधिकतम मांग 5 कि.वा. की त्रुटिवश प्रविष्ठि माह जून 2019 से अगस्त 2019 एवं नवम्बर 2019 से मार्च 2019 तक कुल 08 माहों में हो गई थी । इस त्रुटि से 8 माहों में अधिक बिल की गई राशि रू. 1792/– का समायोजन माह मार्च 2022 के बिल में कर दिया गया है ।

iv) **माह मई 2019 से जुलाई 2019 तक बिल की एकत्रित रीडिंग का समायोजन –** माह मई 2019 से जुलाई 2019 तक दो बिल जारी किए गए है । प्रथम बिल जून – 2019 में 44

दिन का एवं जुलाई 2019 में 30 दिन का दोनों बिल रीडिंग अनुसार ही जारी किए है जो कि नियमानुसार सही हैं ।

v) **नवीन विद्युत कनेक्शन हेतु जमा की गई रजिस्ट्रेशन राशि का समायोजन –** रजिस्ट्रेशन मद में जमा राशि रू. 1500/– का समायोजन माह मार्च – 2022 के बिल में कर दिया है।

vi) **गलत बिल के कारण अधिभार का समायोजन –** आवेदक का बिल त्रुटिपूर्ण होने के कारण अधिक बिल किए गए सरचार्ज की राशि रू. 4956/– का समायोजन माह मार्च 2022 के बिल में कर दिया गया है ।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि अनावेदक ने आवेदक द्वारा उठाए सभी 6 बिन्दुओं पर समाधान कर दिया है ।

10. प्रकरण में की गई उपरोक्त विवेचना, अनावेदक द्वारा की गई कार्यवाही तथा प्राप्त तथ्यों एवं निष्कर्षों के आधार पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है ।

(i) अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।

(ii) प्रकरण में अनावेदक ने आवेदक द्वारा उठाए गए सभी बिन्दुओं का नियमानुसार समाधान कर दिया है । बिन्दु क्रमांक – 4 मई – 2019 से जुलाई – 2019 की बिलिंग के संबंध में भी जांच में बिल रीडिंग अनुसार होना एवं नियमानुसार सही होना पाया एवं अब कोई बिन्दु समाधान हेतु शेष नहीं है।

(iii) समस्त बिन्दुओं पर नियमानुसार समाधान हो जाने के कारण उक्त निर्णय के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

11. आदेश की निशुल्क प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की निशुल्क प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

**विद्युत लोकपाल**